निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1937 (श0)
(सं0 पटना 891)   पटना, बुधवार, 5 अगस्त 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
17 जून 2015

सं० 22/ नि0सि0(भाग0)–09–01/2010/1370—श्री सच्चिदानन्द सिंह, आई0 डी0 क्रमांक–2572 को अवर प्रमण्डल पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता), सिंचाई अवर प्रमण्डल, जमालपुर के पदस्थापन अवधि वर्ष 2004–05 से 2008 के दौरान इनके द्वारा सतघरवा जलाशय योजना के पुनर्स्थापन कार्य एवं विविध कार्य हेतु अस्थायी अग्रिम राशि का दुर्विनियोग (असमायोजित 14,62,975.83 रूपये नहीं लौटाने), उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने आदि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये गये आरोपों के सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–1277 दिनांक 31.08.10 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1318 दिनांक 07.09.10 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्रपत्र–''क'' गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पूर्व श्री सच्चिदानन्द सिंह, तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता) के दिनांक 31.12.2011 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं0–132 दिनांक 03.02.12 द्वारा श्री सिंह को उनके सेवानिवृत की तिथि दिनांक 31.12.2011 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए उनके विरूद्व पूर्व संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

3. श्री सिह के विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, श्री परमानन्द सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, रूपांकण अंचल, भागलपुर के पत्रांक 1261 दिनांक 22.12.11 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के उपरान्त निम्नांकित तथ्य पाये गयेः–

(i) इनके विरूद्व वित्तीय वर्ष 2004–05 के समापन के उपरान्त रूपये 1,71,835/– (एक लाख इकहत्तर हजार आठ सौ पैतीस) की असमायोजित राशि थी। वित्तीय वर्ष 2005–06 में इनको बिना कोई लेखा समर्पित किये चार विभिन्न तिथियों में 12,90,000/– (बारह लाख नब्बे हजार) रूपये की अग्रिम राशि स्वीकृत की गयी जिसके कारण मार्च 2006 तक इनके विरूद्व कुल असमायोजित राशि 14,62,975.83 (चौदह लाख बासठ हजार नौ सौ पचहतर रूपये तेरासी पैसे) रूपये हो गयी। संबंधित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा प्रमण्डलीय रोकड़पाल को दिनांक 18.6.2009 को श्री सिंह के कार्यालय में इनके द्वारा दिनांक 10.03.2004 से कराये गये कार्यो से संबंधित रोकड़बही एवं हस्तपावती प्राप्त करने हेतु भेजा गया परन्तु इनके द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। बिना मान्य साक्ष्य (हस्तपावती) के श्री सिंह द्वारा तीन कनीय अभियन्ताओं के नाम पर कुल 14,06,975.83 रूपये (चौदह लाख छः हजार

नौ सौ पचहतर रूपये तेरासी पैसे) की राशि अग्रिम के रूप में दिखाया गया है जिसकी मान्यता नहीं दी जा सकती। अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए सरकारी राशि के दुर्विनियोग का आरोप श्री सिंह के विरूद्व प्रमाणित पाया गया है।

(ii) असमायोजित अग्रिम की निकासी के संबंध में बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 100 दिनांक 07.06.2004 के अनुसार अस्थायी अग्रिम पूर्व से पारित प्रमाणकों के विरूद्व ही दिया जाना है एवं इसका समायोजन अविलम्ब कर लिया जाना है। संलग्न तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री सिंह को इस आशय की जानकारी थी कि विभागीय स्तर पर कराये जा रहे कार्यो को सक्षम पदाधिकारी द्वारा विभागीय स्तर पर कराने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। श्री सिंह को इस तथ्य की भी जानकारी थी कि विषयांकित कार्य से संबंधित श्रमबल की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर द्वारा नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में श्री सिंह द्वारा अग्रिम की अधियाचना नहीं करना चाहिए था। अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए अस्थायी अग्रिम राशि के दुर्विनियोग के संबंध में श्री सिंह द्वारा बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता में निहित प्रावधान का उल्लंघन करने का आरोप इनके विरूद्व प्रमाणित पाया गया है।

(iii) श्री सिंह द्वारा बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 100 दिनांक 07.06.2004 का उल्लंधन करते हुए ऐसे कार्यो हेतु अस्थायी अग्रिम की अधियाचना की जाती रही जिसके लिए प्रमाणक पूर्व से पारित नहीं थे एवं प्रमाण पारित नहीं होने का मूल कारण विभागीय स्तर पर कराये जा रहे प्रस्तावित कार्यो को विभागीय स्तर पर कराने हेतु सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं रहना एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर द्वारा उक्त कार्यो से संबंधित श्रमबल की स्वीकृति प्रदान नहीं किया जाना था।

ऐसी स्थिति में इनके द्वारा कराये गये कार्यो एवं तत्पश्चात प्रस्तुत विपत्र संबंधित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा पारित नहीं किया जा सका जिसके आलोक में इनके द्वारा वांछित स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ठोस कदम उठाया जाना चाहिए था। परन्तु इनके द्वारा अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी फलस्वरूप दुर्विनियोग की स्थिति उत्पन्न हुई और इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी। अतएव श्री सिंह के द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने का आरोप इनके विरूद्व अंशतः प्रमाणित पाया गया।

4. उपर्युक्त पाये गये तथ्यों के आलोक में प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सच्चिदानन्द सिंह, सेवानिवृत सहायक अभियन्ता से विभागीय पत्रांक 621 दिनांक 12.06.12 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में इनके द्वारा दिनांक 22.08.12 की हस्ताक्षरित द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर विभाग में समर्पित किया गया। द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में इनके द्वारा निम्नांकित तथ्यों को प्रस्तुत किया गया:–

(i) वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में इनके द्वारा प्राप्त की गयी अग्रिम की कुल राशि 13,06,975.83 रूपये (चौदह लाख छः हजार नौ सौ पचहतर रूपये तेरासी पैसे) को गबन करने का इनके विरूद्व आरोप नहीं लगाया गया है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया है कि कार्य कराये गये थे लेकिन संबंधित कनीय अभियन्ताओं द्वारा प्राप्त राशि की रसीद प्रस्तुत नहीं किये गये। यदि आवंटित कार्य के लिए अग्रिम राशि संबंधित कनीय अभियन्ताओं द्वारा प्राप्त नहीं की गयी तो उनके द्वारा कार्य कैसे कराये गये? संबंधित कनीय अभियन्ताओं द्वारा अग्रिम बिना रसीद के प्राप्त किये गये लेकिन सिर्फ श्री विष्णुदेव यादव, कनीय अभियन्ता द्वारा बाद में 45,000/– (पैतालीस हजार रूपये) और श्री कैलास साव, कनीय अभियन्ता द्वारा लिखित रूप से यह स्वीकार किया गया कि उन्होंने 13,000/– (तेरह हजार रूपये) अग्रिम प्राप्त किया है।

संबंधित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा प्रमण्डलीय रोकड़पाल को दिनांक 18.06.09 को भेजे जाने पर रोकड़बही और हस्तपावती नहीं उपलब्ध कराने के संबंध में कहा गया है कि संबंधित कार्यपालक अभियन्ता और प्रमण्डलीय लेखापाल की उपस्थिति में संबंधित अभिलेख प्रमण्डलीय लेखा लिपिक को इनके द्वारा उपलब्ध कराया गया। इस संबंध में इनके द्वारा यह कहा गया है कि इनके विरूद्व गठित आरोप पत्र प्रपत्र–''क'' में रोकड़बही और हस्तपावती उपलब्ध नहीं कराने का आरोप उल्लिखित नहीं है इसलिए इस आरोप को अब शामिल करना नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है।

(ii) कोई कार्य विभाग के स्तर पर करायी जायेगी या निविदा आमंत्रित कर कराया जायेगा इस पर संबंधित मुख्य अभियन्ता अथवा मुख्यालय जैसा मामला हो, की अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्य का कार्यान्वयन अधिकारी होने के नाते इसकी पहल कार्यपालक अभियन्ता द्वारा की जाती है न कि अवर प्रमण्डल पदाधिकारी के द्वारा।

(iii) संबंधित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कार्य के लिए जब अग्रिम उपलब्ध कराया गया और मस्टर रौल्स निर्गत किया गया है तो विश्वास करने का पर्याप्त आधार था कि विभागीय स्तर पर कार्य कराने की अनुमति प्रमण्डलीय कार्यालय द्वारा प्राप्त हो चुकी है।

(iv) विभागीय स्तर से कार्य कराने के लिए पहल करने या अनुरोध करने का कार्य अनुमंडल कार्यालय का नहीं है अतएव इसके लिए इन्हें जबावदेह नहीं ठहराया जा सकता है।

(v) इन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी और न ही इससे संबंधित कोई कागजात इन्हें उपलब्ध कराया गया जिससे इनको जानकारी हो कि सक्षम पदाधिकार द्वारा कार्य कराने की अनुमति नहीं दी गयी है। अतएव संचालन पदाधिकारी द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचने का कोई आधार नहीं है।

(vi) पूर्व में स्वीकृत अग्रिम के समायोजन का कार्य संबंधित कार्यपालक अभियन्ता का है कि पहले अग्रिम का समायोजन कर ले और बाद में बाद की अग्रिम राशि को Disburse करें। इनके द्वारा तो मात्र कार्य के लिए अग्रिम की राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया था।

5. श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में प्रस्तुत किये गये उपर्युक्त तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त निम्नांकित तथ्य पाये गयेः–

(i) यह निर्विवाद है कि श्री सिंह को मार्च 2006 तक कुल 14,62,975.83 रूपये (चौदह लाख बासठ हजार नौ सौ पचहत्तर रूपये तेरासी पैसे) का अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किया गया है। संचालन पदाधिकारी को दिनांक 16.05.11 को दिये गये अपने बचाव बयान में श्री सिंह द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि इतनी राशि उन्होंने प्राप्त की है। द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में भी इनके द्वारा इसका खण्डन नहीं किया गया है।

कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर द्वारा भी श्री सिंह के विरूद्व 14,62,975.83 रूपये (चौदह लाख बासठ हजार नौ सौ पचहत्तर रूपये तेरासी पैसे) के गबन/दुर्विनियोग के लिए तारापुर मुंगेर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार द्वारा भी प्रारूप कंडिका 4.1.1 में प्रतिवेदित किया गया है कि This implied that temporary advance amounting to 14.07 lakh was misappropriated by the S D O., Jamalpur.

द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में श्री सिंह द्वारा मात्र इतना कहा गया है कि विश्वास के आधार पर इनके द्वारा कनीय अभियन्ताओं को कार्य कराने के लिए अग्रिम की राशि दी परन्तु उनमें से मात्र दो कनीय अभियन्ताओं द्वारा रू0 45,000+13,000=58,000 (अठ्ठावन हजार) रूपये प्राप्त होना लिखित रूप से स्वीकार किया गया। अतएव श्री सिंह का यह दलील स्वीकार योग्य नहीं है कि अस्थायी अग्रिम के रूप में उन्हें स्वीकृत अग्रिम बिना हस्तपावती के कनीय अभियन्ताओं को विश्वास के आधार पर कार्य कराने के लिए दे दिया गया और अब कनीय अभियन्ता मुकर गये है। यदि इसमें थोड़ी सी सच्चाई भी है तो इसके लिए भी श्री सिंह ही दोषी है। अतएव सरकारी राशि के दुर्विनियोग का आरोप इनके विरूद्व प्रमाणित होता है।

(ii) श्री सिंह द्वारा अग्रिम स्वीकृत करने का दोष कार्यपालक अभियन्ता पर डालने का एवं अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया गया है। परन्तु राजपत्रित पदाधिकारी होने के नाते इनसे इस बात की जानकारी होना अपेक्षित है कि एक सरकारी अग्रिम के समायोजन के बिना दूसरा सरकारी अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अतएव कार्यपालक अभियन्ता पर अग्रिम स्वीकृति का दोष डालकर ये आरोप से नहीं बच सकते । अग्रिम की अधियाचना इनके द्वारा जानबूझ कर किया गया था।

श्री सिंह का यह दलील भी स्वीकार करने योग्य नहीं है कि इन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि विभागीय स्तर पर कार्य कराने की अनुमति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी गयी थी अथवा नहीं। संबंधित सहायक अभियन्ता या कनीय अभियन्ता जिनपर कार्य कराने का दायित्व होता है, को सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी गयी स्वीकृति आपत्ति आदि की जानकारी औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से अवश्यक हुई है।

जहॉ तक कार्य कराने के लिए पहल करने का प्रश्न है, तो कार्य कराने के लिए जब इनके द्वारा अग्रिम की राशि के लिए पहल की गयी तो उक्त राशि के समायोजन के मार्ग में आनेवाली बाधाओं को दूर करने के लिए भी इनकी पहल अपेक्षित थी।

अतएव बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता में निहित प्रावधान का उललंधन करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने का आरोप इनके विरूद्व अंशतः प्रमाणित होता है।

6. उपर्युक्त पाये गये तथ्यों के आलोक में श्री सच्चिदानन्द सिंह, सेवानिवृत सहायक अभियन्ता के द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। फलस्वरूप प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री सच्चिदानन्द सिंह, सेवानिवृत सहायक अभियन्ता को निम्नांकित दण्ड देने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गयाः–

(i) अस्थायी अग्रिम के रूप में कुल रू0 14,62,975.83 (चौदह लाख बासठ हजार नौ सौ पचहत्तर रूपये तेरासी पैसे) जो अबतक असमायोजित है, की वसूली।

(ii) 12 (बारह) वर्षो तक 30 (तीस) प्रतिशत पेंशन की कटौती।

उपर्युक्त कंडिका (ii) के दण्ड पर नियमानुसार बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

7. उक्त निर्णय के आलोक में श्री सच्चिदानन्द सिंह, सेवानिवृत सहायक अभियन्ता को निम्नांकित दण्ड दिया जाता है।

(i) अस्थायी अग्रिम के रूप में कुल रू0 14,62,975.83 (चौदह लाख बासठ हजार नौ सौ पचहत्तर रूपये तेरासी पैसे) जो अबतक असमायोजित है, की वसूली।

(ii) 12 (बारह) वर्षो तक 30 (तीस) प्रतिशत पेंशन की कटौती।

उक्त दण्ड श्री सच्चिदानन्द सिंह, सेवानिवृत सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 891-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in